वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2010-11

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

एस.एस.ओ. बिल्डिंग

शासन सचिवालय, जयपुर

प्राक्कथन

जिस समय मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषण की गई उस समय भारत का संविधान निर्माणाधीन था। भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारो के रूप में भाग-4 में नीति निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में मानवाधिकारो की अवधारणा को समाविष्ट किया गया है।

जहां तक मानव अधिकार संरक्षण की बात है यह तभी सम्भव है, जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ-साथ कर्तव्य निर्वहन के लिये भी जागरूक रहे। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आयेगी, इसके लिये हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। समर्थ लोग तो अपने अधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है, परन्तु हमें हर वर्ग तथा खास तौर पर पीडित, दलित, उत्पीडित, कमजोर वर्ग एवं बच्चों तथा महिलाओं के अधिकारो के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी। मानव अधिकार विश्वव्यापी अधिकार है, जो जाति धर्म, भाषा, लिंग और समुदाय के भेदभाव से परे है।

देश में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियां तथा अंध विश्वास प्रचलित है। जातिगत भेदभाव और जाति पंचायती बहिष्कार जैसी पिछडी मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि यह सबकि सब बहुत जटिल समस्याऐं है। इसके अलावा कुछ लोगों द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रसास है कि आयोग में प्राप्त होने वाली शिकायतों के अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होने पर भी आमजन के मानवाधिकारों की रक्षा की जावें। आयोग द्वारा समय-समय पर कार्यशालाऐं आयोजित की जाकर सरकारी अध्यापकों, कॉलेज, विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से आम नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती रही है। जिसके फलस्वरूप मानवाधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ उनके हनन को रोकने में भी मदद मिल रही है।

मानवाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर जेलों, छात्रावासों, बालसुधार गृहों तथा शिशुपालना गृहों का निरीक्षण किया जाता है तथा इनमें सुधार के सुझाव एवं उपाय राज्य सरकार को भेजे जाते है। यह खुशी की बात है कि राज्य सरकार आयोग के सुझावों पर ध्यान देकर उन पर आवश्यक कार्यवाही करती है। आयोग का भी प्रययास रहता है कि वह सुशासन में राज्य सरकार की मदद करें।

(पुखराज सीरवी)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	माननीय अध्यक्ष/सदस्यगण/अधिकारीगण का विवरण	1
2.	पदों का विवरण एवं बजट प्रावधान	2
3.	आयोग में प्राप्त एवं निर्णित प्रकरणों का विवरण	3-5
4.	महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा-निर्देश	6-31
5.	माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगणों द्वारा प्रचार-प्रसार कार्यक्रम	32-33
6.	माननीय अध्यक्ष/सदस्यगण/अधिकारीगणों के टेलीफोन नं. एवं आवाटन का पता	34

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

01.04.2010 से 31.03.2011 तक आयोग में कार्यरत माननीय अध्यक्ष,
माननीय सदस्यगण एवं अधिकारी गण का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	जस्टिस श्री नगेन्द्र कुमार जैन	अध्यक्ष	16.07.2005 से 15.07.2010
2.	जस्टिस श्री जगत सिंह	सदस्य	10.10.2005 से 09.10.2010
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य	07.07.2005 से 06.07.2010
4.	श्री पुखराज सीरवी	सदस्य	15.04.2006 से लगातार
5.	श्री रविशंकर श्रीवास्तव	सचिव	05.04.2010 से लगातार
6.	श्री के. नरसिम्हाराव	आई.जी.पुलिस	06.07.2009 से 05.04.2010
7.	श्री जंगा श्रीनिवास राव	आई.जी.पुलिस	05.04.2010 से लगातार
8.	श्री श्यामलाल गुप्ता	उप सचिव	07.01.2009 से 02.06.2010
9.	श्री विक्रम प्रकाश शर्मा	उप सचिव	03.06.2010 से लगातार
10.	श्री विक्रम प्रकाश शर्मा	उप पंजीयक	10.08.2007 से लगातार

नोट :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं अन्य राज्यों के मानव अधिकार आयोगों की तर्ज पर इस आयेाग में लीगल विंग न होने, , योग्यताधारी कम्प्यूटरकर्मियों एवं उपकरणों की कमी तथा कार्यालय कर्मियों के पदों की कमी होने के कारण आयोग के कार्यो को सुचारू रूप से लागू करने में कठिनाइयां आ रही है। प्रतिवेदन 2003-04 से 2009-10 तक की रिपोर्टस में भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, परन्तु इस सबंध में राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

आयोग में वर्ष 2010-11 में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	वेतनमान
1.	अध्यक्ष	1	-	1	90,000.00 स्थिर
2.	सदस्य	2	1	1	80,000.00 स्थिर
3.	सचिव	1	1	-	37,400-67,000
4.	महानिरीक्षक पुलिस	1	1	-	37,400-67,000
5.	उप सचिव	1	-	1	15,600-39,100
6.	उप पंजीयक	1	1	-	15,600-39,100
7.	निजी सचिव	4	1	3	9,300-34,800
8.	लेखाकार	1	1	-	9,300-34,800
9.	कार्यालय अधीक्षक	1	-	1	9,300-34800
10.	निजी सहायक	4	2	2	9,300-34800
11.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	-	9,300-34800
12.	वरिष्ठ लिपिक	6	5	1	9,300-34800
13.	कनिष्ठ लिपिक	4	3	1	9,300-34800
14.	वाहन चालाक	5	5	-	9,300-34800
15.	च.श्रे. कर्मचारी	8	8	-	5,200-20200
16.	होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिक	3	3	-	

राजस्थान राज्य मानवा अधिकार आयोग के कार्यो के संचालन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्तीय प्रावधान एवं वास्तविक व्यय

क्र.सं.	बजट शीर्ष	उप मद	वर्ष 2010-11	
			आबंटित प्रावधान	वास्तविक व्यय (रू. लाखों में)
1.	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	वेतन भत्ते	188.75	179.74
		अन्य व्यय	19.50	19.47

1 अप्रेल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण

क्र. सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	आपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से संबंधित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से संबंधित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02)	धर्म/समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से संबंधित (1000.01 से (1000.05)	विविध (1001.01 से (1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01) से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अजमेर	1	1	8	9	0	1	27	0	1	5	14	76	143
2.	अलवर	1	0	2	5	0	7	53	1	1	8	5	33	116
3.	बारां	0	0	0	7	0	0	13	0	0	5	5	29	59
4.	बांसवाड़ा	1	0	0	6	0	0	16	0	1	6	2	28	60
5.	बाड़मेर	0	0	0	3	0	2	13	0	1	2	7	58	86
6.	भरतपुर	1	0	3	15	1	4	61	2	1	6	11	81	186
7.	भीलवाड़ा	0	0	0	11	2	2	36	1	2	2	5	89	150
8.	बीकानेर	2	1	16	2	0	0	14	0	0	2	19	45	101
9.	बूंदी	0	0	0	7	0	0	14	0	0	2	9	42	91
10.	चित्तौड़गढ़	0	0	0	6	0	0	16	0	1	1	2	52	78
11.	चूरू	0	0	0	3	0	2	7	0	1	3	1	17	34
12.	दौसा	0	0	2	9	0	3	22	0	2	8	8	22	76
13.	धौलपुर	0	0	0	21	0	1	37	0	0	3	6	43	111
14.	डूंगरपुर	0	0	0	2	0	1	5	0	0	3	3	15	29
15.	हनुमानगढ़	1	0	3	2	0	2	19	0	0	6	7	40	80
16.	श्रीगंगानगर	0	0	2	5	0	2	22	0	0	4	16	74	125
17.	जयपुर	14	11	36	22	1	4	177	2	0	47	79	281	674
18.	जैसलमेर	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	2	12	20
19.	जालौर	0	0	0	2	0	1	9	0	2	1	3	23	41
20.	झालावाड़	1	1	2	10	1	2	48	1	0	9	5	89	169
21.	झुन्झुनूं	0	0	1	7	0	1	26	1	0	5	7	49	97
22.	जोधपुर	0	2	8	3	0	1	14	1	4	0	9	64	106

क्र. सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	आपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से संबंधित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से संबंधित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02)	धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से संबंधित (1000.01 से (1000.05)	विविध (1001.01 से (1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01) से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	करौली	3	0	1	2	0	1	22	1	3	7	4	37	81
24.	कोटा	5	0	23	10	0	2	27	1	0	2	10	73	153
25.	नागौर	0	0	2	7	0	1	14	0	0	4	3	32	63
26.	पाली	0	1	3	8	0	1	18	0	3	1	10	67	112
27.	राजसमन्द	0	0	0	2	1	0	2	0	2	2	1	23	33
28.	स. माधोपुर	0	1	0	2	0	0	17	0	0	0	7	37	64
29.	सीकर	2	0	1	5	2	2	22	3	2	10	5	51	105
30.	सिरोही	0	1	0	1	0	1	6	0	1	0	5	41	56
31.	टोंक	1	1	1	12	0	2	16	0	1	3	4	40	81
32.	उदयपुर	0	2	10	1	1	1	21	0	0	6	9	71	122
33.	प्रतापगढ़	1	0	2	3	0	0	15	0	0	5	2	21	49
34.	राज्य से बाहर	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	22	24
	योग	35	22	126	211	9	48	842	14	34	172	285	1777	3575

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

31 मार्च, 2011 तक कुल शेष प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का विषयवार वर्गीकरण

क्र. सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	आपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से संबंधित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से संबंधित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02)	धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01 से 900.05)	महिलाओं से संबंधित (1000.01 से (1000.05)	विविध (1001.01 से (1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01) से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	12	14	92	42	2	13	275	10	13	58	114	104	749

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की पंजीयन, निर्मित एवं विचाराधीन प्रकरणों का विवरण

क्र.	जिले का नाम	कुल प्राप्त प्रकरण	प्रथम दृष्टया निस्तारित प्रकरण	बिना प्रतिवेदन मंगाये प्राथमिक जांच के उपरांत सनिदेश निस्तारित प्रकरण	जांच के उपरांत निस्तारित प्रकरण	परिवादी को अनुतोष देने एवं राज्य सरकार को अनुशंसित प्रकरण	कुल निस्तारण (4+5+6+7)	विचाराधीन प्रकरण (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	143	36	50	33	0	119	24
2.	अलवर	116	13	36	32	0	81	35
3.	बारां	59	12	25	12	0	49	10
4.	बांसवाड़ा	60	5	28	18	0	51	9
5.	बाड़मेर	86	8	51	18	0	51	9
6.	भरतपुर	186	34	72	44	0	150	36
7.	भीलवाड़ा	150	33	75	20	0	128	22
8.	बीकानेर	101	15	40	15	0	70	31
9.	बूंदी	92	8	49	20	0	77	15
10.	चित्तौड़गढ़	78	21	38	12	0	71	7
11.	चूरू	32	10	7	11	0	28	4
12.	दौसा	76	10	33	13	0	56	20
13.	धौलपुर	111	17	50	14	0	81	30
14.	डूंगरपुर	29	9	10	5	0	24	5
15.	हनुमानगढ़	80	19	30	12	0	61	19
16.	श्रीगंगानगर	126	44	44	18	0	106	20
17.	जयपुर	674	141	238	115	1	495	179
18.	जैसलमेर	19	5	7	3	0	15	4
19.	जालौर	40	6	22	7	0	35	5
20.	झालावाड़	169	55	62	30	0	147	22
21.	झुन्झुनूं	98	10	43	25	0	78	20
22.	जोधपुर	107	14	46	21	0	81	26
23.	करौली	80	17	25	14	0	56	24
24.	कोटा	153	38	47	28	0	113	40
25.	नागौर	63	2	25	23	0	50	13
26.	पाली	112	10	63	20	0	93	19
27.	राजसमन्द	33	8	15	4	0	27	6
28.	स. माधोपुर	64	16	25	9	0	50	14
29.	सीकर	106	28	24	25	0	77	29
30.	सिरोही	56	9	32	6	0	47	9
31.	टोंक	80	16	31	20	0	67	13
32.	उदयपुर	122	27	48	23	0	98	24
33.	प्रतापगढ़	50	11	20	14	0	45	5
34.	राज्य से बाहर	24	13	8	2	0	23	1
	योग	3575	720	1419	686	1	2826	749

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा निर्देश

(वर्ष 2010-11)

1. परिवाद संख्या-10/05/1358 समें परिवादी पीर खां पुत्र शेर खां तेली, निवासी ग्राम सोहडा, जिला बाडमेर द्वारा गोचर-भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने बाबत प्रस्तुत परिवाद पर गोचर-भूमि से अमिक्रमण हटवाया गया।

2. परिवाद संख्या-10/07/1651 में श्रीमती तारा अहलूवालिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर पीड़िता गोपियां पुत्री मांगीलाल के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना माण्डलगढ़ में दर्ज प्रकरण में चालान पेश न्यायालय किया गया।

3. परिवाद संख्या-10/15/761 में गांव व खेत के सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने बाबत् प्राप्त परिवाद में तलवाड़ा झील के चक 5 ट.एल. डब्ल्यू. के प.नं. 224/288 से 222/287 तक लाईन को सीधा करने का रास्ता .038-.038 प्रत्येक किला में निशान लगाकर चारों तरफ से पैमाइश कर सम्पूर्ण रास्ते को खुलवाकर चालू करवाया गया।

4. परिवाद संख्या-10/09/3317 में 6 एच.पी. कृषि कनेक्शन के लिए फाईल लगाकर डिमाण्ड राशि जमा करा दिये जाने के 6 माह उपरान्त भी कनेक्शन नहीं देने पर परिवादी भैरूलाल पुत्र श्योकरण मीणा, निवासी कोलाहेडा, जिला बून्दी को शीघ्र सर्विस कनेक्शन के आदेश जारी कराये गये।

5. परिवाद संख्या-09/16/3216 में अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिलवाने बाबत् ग्राम टेलेवाला के ग्रामीणों से प्राप्त परिवाद पर आयोग के आदेशों की पालना में विभाग द्वारा 17 छात्र-छात्राओं को टीएलएम छात्रवृत्ति वितरित की गई।

6. परिवाद संख्या-10/08/707 में परिवादी ईश्वरराम पुत्र नानूराम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सफाईकर्मी को बकाया समस्त परिलाभों का भुगतान कराने बाबत् प्राप्त परिवाद में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर द्वारा परिवादी को समस्त परिलाभों का भुगतान करा आयोग को अवगत कराया।

7. परिवाद संख्या-08/16/2598 एवं 09/16/245 में परिवादी मोहनलाल बंसल, कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन, उपखण्ड श्री करणपुर को उन्हें बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने सम्बन्धी परिवाद पर विभाग द्वारा परिवादी को पूर्ण बकाया वेतन व वेतन स्थिरीकरण ऐरियर का भुगतान किया गया।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 4.5.2010

परिवाद सं. 09/26/263

परिवादी श्री एन.के. राजा, प्राचार्य, बांगड़ राज. उच्च मा.वि. पाली ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि मुझे मई, 08 से निलम्बित और निलंबन काल में गत आठ माह से जीवन निर्वाह भत्ता से वंचित रखा है, जिसे दिलावें।

परिवाद के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), पाली ने आयोग में अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश कर बताया कि निदेशालय के पत्रांकः शिविरा-माध्य/संस्था/ए-4/एन.के. राजा/115 दिनांक 19.2.09 द्वारा मुख्यालय से निर्वाह भत्ते के भुगतान करने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसकी पालना में संबंधित विद्यालय द्वारा श्री राजा को तत्काल निर्वाह भत्ते का भुगतान कर दिया गया है। श्री एन.के. राजा द्वारा निलम्बन आदेश की पालना में मुख्यालय कार्यालय निदेशक, मा. शि. राज. बीकानेर में कार्यग्रहण नहीं कर बार-बार माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने एवं स्थगन आदेश की पालना में नियंत्रण अधिकारी एवं निम्नहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं कर स्वेच्छा से रा. बांगड़ उमावि पाली में कार्यग्रहण किया गया, जिससे इनके निलम्बन काल में मुख्यालय की स्थिति अस्पष्ट रही, जिसके फलस्वरूप इनको निर्वाह भत्ते का भुगतान विलम्ब से हुआ। निदेशालय से प्राप्त मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात् तत्काल इन्हें निर्वाह भत्ते का भुगतान कर दिया गया।

परिवादी को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पाली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 36,37 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि आपके परिवाद पर उचित कार्यवाही करते हुए आपको निर्वाह भत्ते का भुगतान कर दिया गया। परिवाद पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सके।

परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादी पक्ष को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)

सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 24.05.2010

परिवाद सं. 09/30/3172

परिवादी श्री भगाराम पुत्र सवाजी प्रजापत, निवासी-सदर बाजार, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि मेरी पट्टाशुदा व कब्जेशुदा एक दुकान आबूरोड़ सदर बाजार में स्थित है, जिसका पट्टा भी मेरे पास मौजूद है, जिसे एस.डी.एम. आबूपर्वत द्वारा अतिक्रमण मानते हुये दुकान को तोड़ दी व मुझे बिना सुनवाई का अवसर दिये तुरन्त में बेकब्जा कर दिया व नुकसान कारित किया। कृपया उचित कार्यवाही करते हुए मुझे कॉमर्शियल दर से मुआवजा राशि दिलावें।

परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर, सिरोही ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि नगरपालिका आबूरोड़ ने आवासीय डी.एल.सी. दर रुपये 1715/- प्रति वर्गफुट की दर से सड़क में सम्मिलित की गई भूमि की कीमत रुपये 1,85, 220/- एवं भूमि पर निर्मित निर्माण का मूल्यांकन बी.एस.आर. 2005 के अनुसार रुपये 2,628/- कुल राशि रुपये 1,87,848/- चैक संख्या 282400 दिनांक 18.03.2010 से श्री भगाराम को भुगतान कर दिया है तथा श्री भगाराम ने उक्त चैक स्वीकार कर लिया है, जिसकी प्राप्ति रसीद की छाया प्रति संलग्न है। सड़क में सम्मिलित की गई उक्त भूमि का क्षेत्रफल 108 वर्गफुट अर्थात् 12 वर्गगज भूमि है। श्री भगाराम द्वारा न्यायालय में दायर सिविल वाद संख्या 10/2009 में आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.04.2010 रखी गई है।

परिवादी को जिला कलेक्टर, सिरोही से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 19 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि आपको 1,87,848/- रु. राशि का चैक संख्या 282400 दिनांक 18.03.2010 से परिवादी श्री भगाराम को भुगतान कर दिया है। परिवादी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इस जांच रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज/असहमति हो तो परिवादी अपना पक्ष सक्षम न्यायालय में पेश करने को स्वतंत्र है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकें। परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादी को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 26.05.2010 परिवाद सं. 08/26/2678

परिवादी श्री ढगलाराम प्रजापत एवं अन्य, निवासी-सोजतरोड़, जिला-पाली ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि ग्राम पंचायतों में समायोजन से वंचित रहे चूंगी अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन करने के संबंध में निवेदन किया तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति एवं उप शासन सचिव (विधि) राज., जयपुर के आदेश दिनांक 06.08.98 की प्रति पेश की, जिसमें राजस्थान राज्य में पंचायतों द्वारा 01.08.98 से चुंगी वसूली नहीं करने के संबंध में आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं। परन्तु पंचायतों में चुंगी संग्रहण एवं प्रबंधन में जो भी कर्मचारी कार्यरत थे, उन्हें चुंगी वसूली बंद होने के पश्चात् भी छंटनी नहीं किया जावें।

परिवाद के संबंध में प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 9454 दिनांक 15.02.10 आयोग में पेश कर बताया कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में चुंगी समाप्त किये जाने के फलस्वरूप अधिशेष हुए ऐसे चुंगी कर्मचारी जो वर्तमान में विभिन्न ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिक कार्यरत है, उन्हें न्यूनतम राशि रुपये 100/- प्रति दिवस की दर से अधिकतम राशि रुपये 2600/- प्रतिमाह मानदेय का भुगतान करने की स्वीकृति तुरन्त प्रभाव से निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है।

परिवादी को प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 26 की छाया प्रति भेजी कर लिखा जावें कि आपके प्रकरण पर प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही की जा चुकी है। यदि इस जांच रिपोर्ट पर किसी प्रकार कोई ऐतराज/ असहमति हो तो परिवादी अपना पक्ष सक्षम न्यायालय में पेश करने को स्वतंत्र है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकें। परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादी को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 03.06.2010 परिवाद सं. 10/08/454

परिवादिया श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि स्व. शुभकरण ओड, निवासी-द्वितीय, तहसील-श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि मेरे पति स्व. शुभकरण एस.एस.ए-III का स्वर्गवास सेवानिवृत्ति के पहले ही दिनांक 06.07.2003 को हो गया था। जिसकी पेंशन स्वीकृत हो चुकी है तथा मेरे पति की मृत्यु के पश्चात् मेरे पुत्र आशाराम को मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति के फॉर्म कार्यालय में तीन बार दे चुकी हूं, किन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

परिवाद के संबंध में सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि श्री आशाराम पुत्र स्व. श्री शुभकरण ओड़ को इस कार्यालय के आदेश प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-कार्मिक/पत्रा./का.आ.4/प्रे. 86 दिनांक 10.05.2010 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जा चुकी है।

परिवादिया को सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 4 से 7 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि आपके प्रकरण में उचित कार्यवाही की जाकर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा चुकी है। परिवाद पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे सचिव (प्रशासन) की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकें। परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादिया को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 03.06.2010 परिवाद सं. 07/04/1167

परिवादिया श्रीमती शांता देवी निवासी-36/6 माही कॉलोनी बांसवाड़ा ने पुनः आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण राज. जयपुर के निर्णय दिनांक 25.07.2006 की पालना नहीं करते हुए मुख्य अभियंता माही परियोजना बांसवाड़ा द्वारा परिवादिया को पेंशन नहीं दी जा रही है।

परिवाद पर पूर्व में मुख्य अभियंता, माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि श्री शांतिलाल जैन कार्यप्रभारी वाहन चालक का निधन कार्य प्रभारित सेवा में रहते हुए दिनांक 21.03.1989 को हो गया था। मृत राज्य कर्मचारी की बेवा श्रीमती शान्ता, कुली को निम्नांकित परिलाभ दिनांक 15.10.1991 तक भुगतान कर दिये:-1. ग्रेच्युटी रु. 8976/- 2. जी.पी. एफ. रु. 2488/- 3. सी.पी.एफ. रु. 10947/- इस प्रकार सम्पूर्ण परिलाभ प्राप्त करने के पश्चात् श्रीमति शान्ता, कुली ने पारिवारिक पेंशन के लिए मांग की है। प्रकरण में सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, बांसवाड़ा ने पत्र संख्या 10943 दिनांक 5.1.2001 से प्रार्थी को पेंशन देय नहीं होने की सूचना प्रेषित की है।

परिवादिया को मुख्य अभियंता, माही बजाजसागर परियोजना, बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ 10,11 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि यदि इस जांच रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज/असहमति हो तो परिवादिया अपना पक्ष सक्षम न्यायालय में पेश करने को स्वतंत्र है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे मुख्य अभियंता की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सके। परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादिया को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 08.06.2010 परिवाद सं. 10/04/109

परिवादिया श्रीमती सुभद्रा देवी पत्नि स्व. श्री महावीर सिंह, निवासी-मोरडा, तहसील-टोडाभीम, जिला-करौली ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि मेरे पति स्व. महावीर सिंह नरूका, जो राज. पुलिस विभाग में कानि. के पद पर थाना कुशलगढ़ में रहते हुए सड़क दुर्घटना में दिनांक 24.05.2009 को मृत्यु हो गयी थी। जिनकी जी.पी.एफ. एवं एस.आई. दुर्घटना बीमा राशि का भुगतान दिलाया जावें।

परिवाद के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि प्रार्थीया को 1. फेमिली पैशन, 2. जीपीएफ, 3. दुर्घटना बीमा एवं 4. अन्य भुगतान किया जा चुका है।

परिवादिया को जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 9 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि आपको फेमिली पैशन, जीपीएफ, दुर्घटना बीमा एवं अन्य भुगतान किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकें। परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादिया को सूचित किया जावे।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 15.07.2010 परिवाद सं. 09/26/3022

परिवादी श्री इन्द्रलाल सांखला, निवासी-कनिष्ठ लेखकार (पूर्व कार्या. उपकोष, मा.जं.) कार्यालय जिला कोषागार शहर, जोधपुर ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि श्री श्यामलाल ए.ए.ओ. उपकोषाधिकारी, मा.जं. द्वारा साजिशों के तहत प्रार्थी के रोके गये माह 12/08 से 02/09 का वेतन भुगतान व एल.पी.सी. मय ब्याज के दिलवायें एवं दोषी कर्मचारियों को हटाया जावें।

परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर, पाली ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि निर्देशों के बाद उपकोष द्वारा जरिये चैक संख्या 265087 द्वारा शुद्ध देय राशि 20215.10 का भुगतान कर दिया गया है। तत्पश्चात् उपकोष मारवाड़ जंक्शन के पत्रांक दिनांक 08.10.09 को एल.पी.सी. कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर को प्रेषित कर दी गई है।

परिवादी को जिला कलेक्टर, पाली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 8 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि यदि इस जांच रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज/असहमति पत्र से आयोग को एक माह की अवधि में अवगत करावें।

पत्रावली दिनांक 25.08.10 को पेश हों।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 15.07.2010 परिवाद सं. 09/25/2188

परिवादिया श्रीमती विमला पत्नि स्व. श्री नंदलाल निवासी-इन्द्रा कॉलोनी, नागौर ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि मेरे पति स्व. श्री नंदलाल पुत्र श्री भंवरलाल सफाई कर्मचारी के समस्त बकाया भुगतान राशि मुझे दिलवाई जावें।

परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर, नागौर ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि परिवाद की उपखण्ड अधिकारी नागौर से जांच करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि श्री नन्दलाल हरिजन नगरपालिका नागौर में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। जिनका दिनांक 25.09.07 को निधन हो जाने से नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा प्रार्थीया को बुलाकर वाउचर संख्या 67 दिनांक 19.03.2010 द्वारा बकाया भुगतान किया जा चुका है।

परिवादिया को जिला कलेक्टर, नागौर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 9 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा गया कि यदि इस जांच रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज/असहमति हो तो आयोग को एक माह की अवधि में अवगत करावें। किन्तु परिवादिया का किसी प्रकार का कोई ऐतराज/असहमति पत्र आयोग में नहीं प्राप्त हुआ। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे जिला कलेक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकें।

परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादी को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 30.07.2010 परिवाद सं. 10/26/914

परिवादिया श्रीमती उगिया देवी पत्नि स्व. नैनाराम टांक, निवासी-दिल्ली गेट के अन्दर, सोजत, जिला पाली ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि पेंशनर श्रीमती उगिया देवी पत्नी स्व. श्री नेनाराम जी टांक को पूर्ण पेंशन परिलाभ दिलाया जावें। राजस्थान सरकार के पत्रांक IDS/3122/FD/Rules/2008 दिनांक 09.01.2009/12.01.09 के आदेश के बावजूद पेंशन विभाग (संयुक्त निदेशक पेंशन-जोधपुर) उक्त परिलाभ नहीं दे रहे है।

परिवाद के संबंध में संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, जोधपुर ने आयोग में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर बताया कि प्रकरण के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (मा. शिक्षा) पाली द्वारा प्राप्त संशोधित पेंशन प्रकरण दिनांक 11.01.2010 को प्राप्त होने पर जांच पश्चात् यह कमी पायी गयी कि माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में वित्त विभाग की नो अपील/सक्षम स्वीकृति संबंधित अपील 5009/03 के संबंध में संलग्न कर नहीं भेजी गयी है। उक्त आक्षेप की पूर्ति कर विभाग द्वारा पत्रांक 4973 दिनांक 24.05.2010 द्वारा पुनः इस कार्यालय का संशोधित पेंशन प्रकरण भेजा गया, जिसका नियमानुसार निस्तारण कर इस विभाग द्वारा दिनांक 31.05.2010 को ही संशोधित पी.पी.ओ. संख्या 445586 जी.पी.ओ. संख्या 475212-13 की अधिकृतियां जारी कर दी गयी है।

परिवादिया को संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 7 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा गया कि यदि इस जांच रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज/असहमति हो तो आयोग को एक माह की अवधि में अवगत करावें। किन्तु परिवादी पक्ष का किसी प्रकार का कौी ऐतराज/असहमति पत्र आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे संयुक्त निदेशक की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकें।

परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादिया को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 02.08.2010 परिवाद सं. 10/05/1695

परिवादिया श्रीमती लहरो देवी पत्नि उमाराम, निवासी-कवरली, जिला-बाड़मेर ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि मुझ विधवा के साथ गैरसायलान इन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह वीदा राजपूत द्वारा मेरे घर में प्रवेश कर जबरदस्ती बलात्कार किया गया। जिससे मेरे गर्भ ठहर गया। उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना मण्डली में मुकदमा संख्या 30/10 दर्ज किया गया। जिसमें पुलिस द्वारा राजीनामा करने का दबाव बनाया जाकर धमकाया जा रहा है। कृपया प्रकरण की निष्पक्ष जांच करावें।

परिवाद के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर में आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर बताया कि दौराने अन्वेषण वृत्ताधिकारी वृत्त बालोतरा द्वारा परिवादिया श्रीमती लेहरो देवी व गवाह श्री रतनाराम, श्री मुकेश कुमार व श्री उदाराम के कथन लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये। घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब किया गया। अन्वेषण से अभियुक्त इन्द्रसिंह के विरुद्ध जुर्म धारा 450, 376 भादंसं. व 3 (1) (12) एससी/एसटी एक्ट प्रमाणित पाया जाने पर इसे दिनांक 02.06.2010 को गिरफ्तार किया जाकर मेडिकल मुआयना करवाया गया। निदेशक अभियोजन से कानूनी राय प्राप्त कर मुलजिम इन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी कवरल के विरुद्ध जुर्म धारा 450/376 भादंसं. व 3 (1) (12) 2 (5) एससी/एसटी एक्ट में चार्जशीट नं. 25 दिनांक 25.06.2010 से मुर्तिब कर रोड़ नं. 46 दिनांक 01.07.2010 से ऐसी जेएम कोर्ट बालोतरा में पेश किया गया।

पीड़िता श्रीमती लेहरों देवी को एससी/एसटी के प्रावधान के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने बाबत् इस कार्यालय के पत्रांक 4921 दिनांक 23.06.2010 से कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर को प्रस्ताव भिजवाया गया था। जिस पर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर ने आदेश क्रमांक 6125-30 दिनांक 23.06.2010 से कुल 100,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जाकर 50,000/- रु. की

आर्थिक सहायता पीडिता को तत्काल प्रदान की है। शेष राशि का भुगतान प्रकरण का न्यायालय में विचारण के बाद होगा।

परिवादिया को जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 8, 9 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि आपके प्रकरण में चालान माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर, आपको आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है। यदि इस जांच रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज/असहमति हो तो परिवादिया अपना पक्ष सक्षम न्यायालय में पेश करने को स्वतंत्र है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकें।

परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादी को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 29.10.2010 परिवाद सं. 10/08/887

परिवादी श्री कपिल कुमार, प्रवक्ता कम्प्युटर, राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि प्रार्थी तकनीकी शिक्षा विभाग राज. में लेक्चरर कम्प्यूटर के पद पर 5 अगस्त, 1994 से कार्यरत है। प्रार्थी ने दिनांक 16.08.2001 को राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर से स्थानान्तरण होकर पदभार ग्रहण किया था। प्रार्थी को दिनांक 16.08.2004 से पदभार ग्रहण के बाद से वेतन भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा इस बाबत् लगातार प्राचार्य, अजमेर को पत्र भी दिये गये।

परिवाद के संबंध में प्रधानाचार्य, राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर एवं प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय, अजमेर ने आयोग में अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश कर बताया कि श्री कपिल कुमार ज्याणी प्रवक्ता कम्प्युटर के वेतन आहरण के तहत बिल नं. 08 दिनांक 19.04.2010 रु. 1,34,948.50 कोषालय से पारित चेक नं. 255324 दिनांक 11.05.2010 को श्री ज्याणी के बैंक खाता 10077751759 में दिनांक 12.05.2010 को जमा करवाया जा चुका है। इसी प्रकार से माह अप्रैल 10 का वेतन बिल नं. 9 दिनांक 24.04.2010 रु. 28883.34 बैंक खाते में दिनांक 01.05.2010 को जमा करवाया जा चुका है।

परिवादी को प्रधानाचार्य, राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 138 एवं प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय, अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 139,170 की छाया प्रति भेजी गई, जिस पर परिवादी पक्ष का किसी प्रकार का ऐतराज आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे प्रधानाचार्य, राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकें।

परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादी पक्ष को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 1.11.10

परिवाद सं. 06/29/3477

समक्ष : एकलपीठ

माननीय श्री पुखराज सीरवी-अध्यक्ष

गौरीशंकर ने परिवाद पेश किया था कि उसने घरेलू पानी कनेक्शन के लिए ग्राम सभा में प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसमें सरपंच की मनमानी व हठधर्मिता से कनेक्शन नहीं दिया गया। प्रार्थी को पीने के पानी की समस्या व उसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है इत्यादि।

परिवाद की छाया प्रति जिला कलक्टर, सीकर को पठाकर निर्देशित किया गया कि परिवादी को प्राथमिक रूप से नया कनेक्शन देकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। जिला कलक्टर, सीकर से अपेक्षित पालना रिपोर्ट दिनांक 11.10.10 का संलग्नकों सहित अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जनता जल योजनान्तर्गत नया जल कनेक्शन दे दिया गया है। चूंकि परिवाद के सम्बन्ध में स्पष्ट व संतोषजनक पालना रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हो चुकी है, जिससे आयोग सन्तुष्ट है। अतः परिवादी को तदनुसार सूचित कराते हुए परिवाद आयोग स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 01.12.2010 परिवाद सं. 10/08/1692

परिवादी श्री गोविन्द सिंह, सचिव राजस्थान एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय, रिटायर्ड टीचर्स सोसाइटी, जयपुर ने आयोग में परिवाद पेश कर सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन दिलाये जाने का निवेदन किया है।

परिवाद के संबंध में कुल सचिव, स्वामी केशवानंद राज. एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, बीकानेर ने आयोग में अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन भुगतान हेतु राशि प्राप्त हो रही है, पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में माह सितम्बर, 2010 में राज्य सरकार से रु. 3.00 करोड़ ऋण राशि पेंशन भुगतान कर दिया गया है तथा इसके स्थाई फण्ड की व्यवस्था राज्य सरकार के स्तर पर होगी, तभी इसका स्थाई समाधान हो सकेगा।

परिवादी को कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद राज. एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, बीकानेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 4 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि यदि इस जांच रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो आयोग को एक माह की अवधि में अवगत करावें।

पत्रावली दिनांक 03.01.2011 को पेश हों।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 20.12.2010 परिवाद सं.10/17/1199

परिवादी श्री गोपाल लाल शर्मा, सेवानिवृत्त ने परिलाभ दिलवाने हेतु एक परिवाद आयोग में प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रति प्रबंधक, जयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर को पठाकर कानून सम्मत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करते हुए भेजा गया।

परिवाद के संबंध में प्रबंधक, जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि श्री शर्मा को समिति द्वारा सेवानिवृत्ति उपरान्त ग्रेच्युटी राशि रुपये 93455.00 रु. भुगतान की जा चुकी है, जिसकी रसीद की प्रति संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 26.11.2010 को भी श्री शर्मा के पक्ष में नियमानुसार 60 दिवस की अधिकतम उपार्जित अवकाश के एवज में रु. 13656/- रु. का नकद भुगतान किया जा चुका है। श्री शर्मा की वेतन वृद्धि ऐरियर राशि 7083/- रु. का भुगतान किया जा चुका है। श्री शर्मा ने समस्त परिलाभ प्राप्त कर लिये है।

परिवादी को प्रबंधक, जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 5 व 33 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि आपके प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। परिवाद पर आयोग स्तर से अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादी को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)

सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 22.12.2010 परिवाद सं. 09/04/459

परिवादी श्री विजयगिरी महाराज वाल्मिकी महंत, सातबाडिया धाम, दौलतसिंह का गडा, काचरीयापाडा, तहसील-घाटोल, जिला-बांसवाड़ा ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि रा.उ.प्रा.वि. काचरियापाडा ग्रा.पं. मुंगाडा तह. घाटोल, जिला-बांसवाड़ा के अन्तर्गत आता है। विद्यालय में 314 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है, उपरोक्त विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों से 5 कि.मी. की दूरी पर है तथा यह गांव भी बडा है तथा इस विद्यालय से गत वर्ष आठवी कक्षा उत्तीर्ण कर 42 छात्र/छात्राऐं अन्यत्र अध्ययन करने गए है। वर्तमान में आठवी कक्षा में 77 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है परन्तु माध्यमिक विद्यालयों की अधिक दूरी होने से आधे छात्र/छात्राऐं सत्र के मध्य में ही अध्ययन छोड़ देते हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, काचरियापाडा, पं.सं. घाटोल, जिला बांसवाड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने का निवेदन किया है।

परिवाद के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) बांसवाड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं ग्राम पंचायत में माध्यमिक विद्यालय के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालय मुंगाणा पं. सं. घाटोल को वर्ष 2009-10 में उप्रावि से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जा चुका है।

परिवादी को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावे कि आपके प्रकरण में शिक्षा विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जा चुकी है। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकें।

परिवाद इस स्तर पर पत्रित किया जाता है। परिवादी को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 30.12.2010 परिवाद सं. 10/22/2092

परिवादी श्री भंवरलाल पुत्र पूनाराम देवासी, निवासी-करवड़, तहसील-मण्डोर, जिला-जोधपुर ने आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि मेरा पुत्र हुक्माराम दिनांक 07.04.2010 को करीब 12.30 बजे हैंडपम्प से पानी लेने जा रहा था, रास्ते में बिजली विभाग की डी.पी. (ट्रांसफार्मर) के पास पहुंचते ही अचानक अर्थ लाईन से बिजली का करंट आने पर घायल हो गया, जिसका एम.जी.एच. अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ईलाज के दौरान उसका एक हाथ काटना पडा व ईलाज में 55,854/- रु. का खर्च हो गया। इस संबंध में बिजली विभाग की लापरवाही के संबंध में पुलिस थाना मण्डोर में रिपोर्ट दर्ज करवायी गई। पुलिस थाना मण्डोर द्वारा विद्युत विभाग द्वारा मिलीभगत कर मामला रफा-दफा करने का प्रयास किया जा रहा है।

परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर शहर ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि अधीक्षक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ने अपने पत्रांक 3145 दिनांक 07.10.2010 के साथ परिवादी श्री भंवरलाल पुत्र पुनाराम देवासी को राशि 50,000/- का जरिये चैक द्वारा प्रार्थी को आर्थिक सहायता का भुगतान कर दिया गया है। उक्त घटना के संबंध में दर्ज प्रकरण सं. 114/10 में एफ.आर. न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

परिवादी को जिला कलेक्टर, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 49 एवं जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर शहर से प्राप्त रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 46 की छाया प्रति भेजी जाकर लिखा जावें कि आपके प्रकरण में एफ.आर. न्यायालय में पेश की जा चुकी है एवं आपको राशि 50,000/- का जरिये चैक द्वारा प्रार्थी को आर्थिक सहायता का भुगतान कर दिया गया है। परिवाद पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिवाद इस स्तर पर पत्रित कियाजाता है। परिवादी को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

समक्ष-एकलपीठ

दिनांक 17.01.2011 परिवाद सं. 08/26/2602

परिवादी सरपंच ग्राम पंचायत-जोजावर, पंचायत समिति-मारवाड़ जंक्शन, जिला-पाली दिनांक 20.08.08 को गांव के काफी लोगों के साथ आयोग में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि ग्राम-जोजावर की आबादी करीब 8-10 हजार की है। गांव में पानी सप्लाई के लिये एक पानी की टंकी है, जो काफी जर्जर होकर क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंच चुकी है। वर्तमान में उस टंकी से आम जनता को पानी की सप्लाई करने में काफी कठिनाई आ रही है तथा गांव में पानी की पूर्ति उससे सम्भव नहीं है। इस संबंध में अति. मुख्य अभियंता पी.एच.डी. जोधपुर ने आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु जरिये पत्र क्रमांक ACE/PHED/JU/AEN/Pali)/2008-09/6360-66 **Subject:** Agenda Note for A & Sanction to the Proposal Aug Piped WSS Jojawar, Distt-Pali. निवेदन किया, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

परिवाद के संबंध में सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट आयोग में पेश कर बताया कि ग्राम जोजावर की पेयजल योजना के संवर्धन प्रस्ताव पर वित्त समिति की बैठक संख्या 606 दिनांक 12.11.2010 के एजेण्डा संख्या 5 पर राशि 213.44 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है, स्वीकृति की प्रति संलग्न पेश है। माननीय आयोग के आदेशों की पालना कर ली गई है।

सचिव, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 24 से 29 की छाया प्रति परिवादी पक्ष को भेजी जाकर लिखा जावें कि आपके परिवाद के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। आयोग स्तर से परिवाद पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। परिवाद इस स्तर पत्रित किया जाता है, परिवादी को सूचित किया जावें।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 02.02.2011

परिवाद संख्या 11/17/332

समक्ष-एकलपीठ

माननीय श्री पुखराज सीरवी-अध्यक्ष

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 31.01.2011 को प्रकाशित खबर ''बीमार हुआ स्कैन'' का अवलोकन किया, जिसमें अंकित किया गया है कि प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में सिर्फ एक सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध है, और वो भी पिछले रविवार यानि 23 जनवरी, 2011 को खराब हुई, जो अब तक बिगड़ी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहां सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। जरूरत इतनी ही है कि इसी एक मशीन से साल भर में करीब साठ हजार यानी एक दिन में 175 जांचें होती हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के चलते ये मशीन आये दिन खराब होती है और खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है इत्यादि।

उक्त खबर में छिपी हुई मानवीय संवेदनाओं पर विचारणार्थ खबर पर प्रसंज्ञान लिया जाना उचित होगा। अतः अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, राजस्थान, जयपुर को न्यायहित में राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित उक्त खबर की प्रति प्रेषित कर अपेक्षा की जाती है कि वे इस सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही कर गरीब, असहाय व आमज़न रोगियों को शीघ्र राहत दिलावें एवं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट से आयोग को एक माह की अवधि से पूर्व अवगत करावें। साथ ही उक्त आदेश के साथ परिवाद की एक प्रति प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया है कि मामले की वस्तुस्थिति को देखकर इस प्रकार की समस्याओं के निवारणार्थ समुचित रूप से वैकल्पिक व्यवस्थायें करावें तथा यह भी सुनिश्चित करावें कि भविष्य में इस प्रकार मशीनें खराब होने सम्बन्धी अनियमितताएं नहीं हों ताकि मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कराये जाने वाली जांचों में कोई असुविधा नहीं हो। परिवाद दिनांक 03.03.2011 को पेश हो।

(पुखराज सीरवी)

सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 23.02.2011 परिवाद संख्या 10/11/3022

समक्ष-एकलपीठ

माननीय श्री पुखराज सीरवी-अध्यक्ष

नौ वर्षीय बालिका के साथ चूरू रेल्वे गेस्ट हाउस में बलात्कार करने वाले नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करा पीडिता को न्याय दिलाने बाबत् डॉ. सुभाष मोहपात्रा, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राईट्स कम्युनिकेशन्स, कलामती दिव्यासिंहपुर छक, रायगुरुपुर, पुरी, उड़ीसा ने यह परिवाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 01.10.2010 द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के नियम 13 (6) के अन्तर्गत मामला राज्य स्तर का होने से इस आयोग को उचित निस्तारण हेतु अग्रेषित किया था।

परिवाद की छायाप्रति जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू को भेजकर जांच रिपोर्ट दिनांक 06.12.2010 प्राप्त की गई। रिपोर्ट का अवलोकन किया तो प्रकट हुआ कि परिवाद के सम्बन्ध में जी.आर.पी. थाना सादुलपुर पर दर्ज मुकदमा नम्बर 21/10 में बाद अनुसंधान अभियुक्त मनोज कुमार, जयसिंह, मनीष व रमेश कौम मीणागान के विरुद्ध धारा 363, 366ए 376 (2) भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया जाने से चार्जशीट नम्बर 17 दिनांक 20.03.2010 को किता कर चालान दिनांक 26.10.2010 को पेश न्यायालय किया जा चुका है।

जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट की पृष्ठभूमि के यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा परिवाद के सम्बन्ध में विधिसम्मत कार्यवाही की जा चुकी है। अतः परिवादी पक्ष को तदनुसार सूचित कराते हुए परिवाद आयोग स्तर पर पत्रित किया जाता है।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 28.02.2011 परिवाद संख्या 11/17/477

समक्ष-एकलपीठ

माननीय श्री पुखराज सीरवी-अध्यक्ष

डॉ. आर.सी. यादव, सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, जयपुर (प्रोफेसर रेडियोडाइग्नोसिस) 6/4, हीराबाग, फ्लेट्स, रामसिंह रोड़, जयपुर ने राज्य मानवाधिकार आयोग को परिवाद पेश किया है कि राज्य सरकार राज्य के चिकित्सक शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है, जिससे वे सामूहिक त्याग-पत्र देने को मजबूर हो रहे हैं। उन्हें प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और यहां तक पी.टी.आई. एवं लाईब्रेरियन से भी कम वेतनमान, भत्ते एवं सुविधाएं दी जा रही है। उच्चतम योग्यता होते हुए भी निम्नतम वेतनमान दिये जा रहे हैं। विगत 2 वर्षो से ध्यान आकर्षित करने व दिनांक 15.02.2011 से मेडिकल कॉलेज के समक्ष शांतिपूर्ण धरना देने के बाद भी राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

इस सम्बन्ध में राज्य में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुई है। आज दिनांक 28.02.2011 को राजस्थान पत्रिका समाचार-पत्र में पृष्ठ संख्या 12 पर **''धैर्य की परीक्षा क्यों? ''** शीर्षक से भी खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें लिखा गया है कि पिछले दो साल से शांतिपूर्वक अपनी मांगों की आवाज उठा रहे चिकित्सक शिक्षकों की बात को सरकार अनुसुना कर रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में समय और स्टॉफ की सीमाओं से परे जाकर काम करने वाले इन चिकित्सकों को सामान्य कॉलेजों के शिक्षकों व वेटरनरी डॉक्टरों से भी कम वेतन मिलता है। अधिकतर दूसरे राज्यों की तुलना में राज्य के चिकित्सक शिक्षकों को सुविधाएं भी कम हैं और पदोन्नति अवसरों के अभाव में वे एक ही पद पर काम करते हुए रिटायर तक हो जाते हैं। आपातकालीन सेवाओं में माने जाने वाले चिकित्सक शिक्षक हड़ताल या उग्र आंदोलन करते हैं तो उनकी आलोचना को सरकार ने आपातकालीन सेवा के रूप में? राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल सहित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा नाम है। तमाम व्यवस्थागत खामियों के बावजूद इन अस्पतालों में

हर साल हजारों लोगों की जान बचती है और चिकित्सक भगवान का दर्जा पाते हैं। बदलती परिस्थितियों में चिकित्सक बनने के प्रति युवाओं का उत्साह कम हो रहा है। सरकारी तंत्र की समस्याओं को देखते हुए नए चिकित्सकों का राजकीय अस्पतालों के प्रति रुझान और भी कम हो रहा है। बड़ी संख्या में खाली पदों व सरकार की इच्छा के बावजूद सरकारी अस्पतालों में भर्ती के लिए चिकित्सक नहीं मिल रहे। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए योग्य चिकित्सकों का और भी ज्यादा अभाव है। करीब 25-30 फीसदी पद खाली पड़े हैं और कड़ी सेवा शर्तों के कारण नौकरी छोड़ कर निजी क्षेत्र में आ जा रहे नामी चिकित्सकों को रोकना सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है इत्यादि।

परिवाद की छायाप्रति प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर को भेजकर अपेक्षा की जाती है, वे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए परिवाद को गम्भीरता से लेकर चिकित्सक शिक्षकों की मांगों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही से लेकर चिकित्सक शिक्षकों की मांगों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करा, सम्भावित सामूहिक इस्तीफे की नौबत आने से पूर्व समस्या का समाधान करायें ताकि चिकित्सा सुविधा के अभाव में आमजन एवं मरीजों को ईलाज कराने में कोई असुविधा नहीं हो और उनके अमूल्य जीवन के साथ कोई खिलवाड नहीं हो। अतः चिकित्सक शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करा, की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट से राज्य मानवाधिकार आयोग को एक माह की अवधि से पूर्व अवगत करावें। इस आदेश की प्रति सूचनार्थ परिवादी पक्ष को भी प्रेषित की जावे। परिवाद दिनांक 28.03.2011 को पेश हो।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 17.03.2011 परिवाद संख्या 10/01/2230

समक्ष-एकलपीठ

माननीय श्री पुखराज सीरवी-अध्यक्ष

परिवादी श्री विवेक कुमार, सहायक कर्मचारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वितीय, अजमेर ने राज्य मानवाधिकार आयोग को परिवाद पेश किया गया था कि उसके पिताजी गले व फेफड़ों के केन्सर से पीड़ित है, जिनका 18.05.10 से ईलाज चल रहा है। अब तक 75,000/- रुपये ईलाज के खर्च हो चुके हैं और 1,00,000/- रुपये ईलाज पर और व्यय होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर है, बजट आवंटन करवाने के कृपा करावें इत्यादि।

परिवाद की छाया प्रति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भेजकर कार्यवाही उपरान्त तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आयोग को भेजने हेतु लिखा गया। परिवाद के सम्बन्ध में कार्यवाही उपरान्त अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 4.01.11 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य मानवाधिकार आयोग को प्रेषित की है। रिपोर्ट का अवलोकन किया तो प्रकट हुआ कि आयोग के पत्र दिनांक 06.09.2010 के सन्दर्भ में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर श्री विवेक कुमार, सहायक कर्मचारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वितीय, अजमेर के नाम से (कैंसर रोग से पीडित) बजट आवंटन कर दिया है।

अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्नकों सहित परिवादी पक्ष को सूचनार्थ भेजते हुए परिवाद आयोग स्तर पर पत्रित किया जाता है।

(पुखराज सीरवी)
सदस्य